28/6/18

पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मुख्यालय शिवरानी पर पेश हुई। वकील ए.पी. उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षान सुनी गई। वकील वादी के तर्क रहे कि उनके हिस्से की आराजी को प्रतिवादी सलमा एक दीगर व्यक्ति को बेचने पर आमादा है। प्रतिवादी के वकील के तर्क रहे कि कोई हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है। यदि कोई सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि को बेचना चाहे तो उसे बेचान से रोका नहीं जा सकता क्योंकि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः किसी सह खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादी एवं प्रतिवादी सलमा। विवादित आराजी मे सहखातेदार है। ऐसी स्थिति मे प्रतिपादित न्याय सिद्धांतानुसार किसी सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। वाद पत्र मेरिट पर तय किया जाना है। वर्तमान स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद दफ्तर दाखिल हो।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.06 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested